बहादुरमल उर्फ बहादुरराम बनाम मैं. गिरधारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज रा.वा. 123/2023
12.01.24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी की जरिये रजिस्टर्ड डाक से तामिल करवायी जाने के बाद उपरांत भी हाजिर अदालत नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में वादी बहादुरमल उर्फ बहादुरराम पुत्र नाथूराम व गवाहन में गवाह घासीराम पुत्र अर्जुनराम, रामजीलाल बांगड़ पुत्र बालूराम बांगड़ के लिखितशुदा शपथ–पत्र पेश हुये जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में अंतिम बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रकरण में अंतिम बहस सुनी जाकर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् उद्घोषणा, दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार कर निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।
घासीराम रामजीलाल	(दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्ट्रेक) श्रीमाधोपुर 12/01/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:42:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
123/2023	2023/242	02.08.2023	12.01.2024

उनवान प्रकरण

1. बहादुरमल उर्फ बहादुरराम पुत्र नाथूराम आयु 85 वर्ष जाति गुर्जर निवासी टेक की ढाणी तन् ग्राम हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

---वादी---

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

---प्रतिवादी---

उपस्थित :–

श्री जे0 पी0 गुर्जर एड0 वादी अभिभाषक।

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

---:: निर्णय ::---

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1796/1924 रकबा 1.80 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में हैं। उक्त कृषि भूमि के पुराने खसर नम्बर 1057/2 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा पूर्व राजस्व अभिलेख में हनुमान पुत्र सेडूराम गुर्जर निवासी ग्राम हथौरा के नाम खातेदारी दर्ज थी। वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी बहादुरमल पुत्र हनुमानसहाय [illegible] 13/18 एवं शेष हिस्सा 5/18 की शिवराज पुत्र होराम के नाम से खातेदारी अंकित है। परन्तु [illegible] वल्दियत गलत अंकित है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1794/1828 रकबा [illegible] तन ग्राम हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में है। उक्त कृषि भूमि के पुराने खसरा नम्बर 1066/1 करबा एक बीघा 8 बिस्वा पूर्व राजस्व अभिलेख में हनुमान पुत्र सेडूराम गुर्जर निवासी हथौरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:42:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

के नाम खातेदारी दर्ज थी। वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी के नाम सही रूप से खातेदारी दर्ज है। उपरोक्त संदर्भित उक्त कृषि भूमियां हनुमानसहाय पुत्र सेडूराम जाति गुर्जर निवासी हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की खातेदारी काबिज काश्त की भूमियां थी। हनुमानसहाय पुत्र सेडूराम जाति गुर्जर के कोई जाईन्दा संतान पुत्र, पुत्री नहीं होने के कारण हनुमानसहाय एवं उनकी धर्मपत्नी नानगी ने बहादुर पुत्र नाथूराम अपने भतीजा के पक्ष में वसीयत लेख दिनांक 03.01.2005 को निष्पादन किया था। उक्त वसीयत लेख दिनांक 03.01.2005 में लिखवाकर नोटेरी से प्रमाणित किया हुआ है। उक्त वसीयत लेख मालीराम टेलर पुत्र गेंदलाल निवासी ग्राम अजीतगढ़ एवं मुरलीधर पुत्र जगन्नाथ गुर्जर जाति गुर्जर निवासी अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान बर्तार साक्षी हस्ताक्षर किये। उक्त वसीयत लेख में हनुमान पुत्र सेडूराम जाति गुर्जर लिखवा दिया था कि मेरी मृत्योपरान्त मेरी समस्त चल व अचल सम्पति का एकमात्र स्वामी बहादुर पुत्र नाथूराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ढाणी टेक की तन् ग्राम हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान होगा। उक्त वसीयत लेख की बिना पर उपरोक्त संदर्भित भूमियां की खातेदारी वादी बहादुरमल उर्फ बहादुरमल पुत्र नाथूराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी हथौरा के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होनी चाहिए थी। परन्तु राजस्व कर्मचारी, पटवारी आदि से सहवन से उपरोक्त संदर्भित कृषि भूमि की खातेदारी में राजस्व अभिलेख में वादी की वल्दियत नाथूराम के बजाय हनुमान दर्ज हो गयी और वादी अनपढ़ होने से उसे उक्त वल्दियत गलत होने का पूर्व में ज्ञान नहीं रहा हैं जबकि उपरोक्त वर्णित संदर्भित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व अभिलेख में वादी की वल्दियत सही रूप उसके प्राकृतिक पिता नाथूराम का नाम अंकित है। जबकि वादपत्र में संलग्न वसीयत लेख में स्पष्ट रूप से अंकित हैं कि मेरी चल अचल सम्पति बहादुरमल पुत्र नाथूराम की होगी । इस प्रकार वादी के पिता का नाम (वल्दियत) दोनो कृषि भूमियों खतौनी राजस्व अभिलेख में भिन्न–भिन्न वल्दियत अंकित होने से वादी को काफी परेशानी हो रही हैं तथा भविष्य में भी वादी के विधिक अड़चने उत्पन्न होने की संभावनाये सदैव ही बनी रहती हैं इसलिए उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियां उपरोक्त संदर्भित भूमि खसरा नम्बर 1796 / 1924 के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में वादी के पिता की (वल्दियत) नाम हनुमान के स्थान पर नाथूराम अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड के वादी के पिता का नाम नाथूराम सही अंकित किये जाने से वादी सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकेगा। बहादुरमल उर्फ बहादुरमल पुत्र हनुमान गुर्जर नाम का कोई अन्य व्यक्ति ग्राम हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में नहीं है। वादी अपनी उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के उक्त राजस्व अभिलेख में वल्दियत गलत अंकित होने की जानकारी होने पर वादी अपने पिता (वल्दियत) नाम दुरूस्ती बाबत् तहसीलदार श्रीमाधोपुर के यहां प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व अभिलेख वादी के पिता का नाम (वल्दियत) हनुमानसहाय के बजाय नाथूराम सही अंकित किया जावें तो पहले तो प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार टालमटोल करते रहे परन्तु अब अर्सा करीब 1 माह पूर्व इंकार कर दिया और सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने बाबत् कह दिया जिससे वादकारण उत्पन्न होकर माननीय न्यायालय हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी द्वारा अनुतोष इस प्रकार चाहा गया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1796 / 1924 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:42:59 IST
Reason: SelfAttested

1.80 हैक्टर तन् ग्राम हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का खातेदार बहादुरमल उर्फ हनुमानसहाय के स्थान पर बहादुरमल उर्फ बहादुरराम पुत्र नाथूराम गुर्जर को उद्घोषित किया जावें और उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी बहादुरमल उर्फ बहादुरराम पुत्र नाथूराम के नाम दुरूस्ती हेतु भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश फरमावें एवं प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी की सम्यक तामिल होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जारी तहरीर आदेश की पालना में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में वादी बहादुरमल उर्फ बहादुरराम पुत्र नाथूराम व गवाहन में गवाह घासीराम पुत्र अर्जुनराम, रामजीलाल बांगड़ पुत्र बालूराम बांगड़ के लिखितशुदा शपथ–पत्र पेश हुये जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने व साक्ष्य वादी से पर वकील वादी ने वादपत्र में बहस आज ही सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रकरण में तहसीलदार से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने व साक्ष्या वादी हो जाने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकील वादी की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077 दो जमाबन्दी, तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट, साक्ष्य वादी के लिखितशुदा शपथ–पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी वादी के नाम हिस्से अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मय संलग्लक अनुसार राजस्व ग्राम हथौरा के खसरा नम्बर 1796/1924 रकबा 1.80 है0 खातेदार बहादूरमल पुत्र हनुमान सहाय हिस्सा 13/18 जाति गुर्जर दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तकरण संख्या 249 से हणमान पुत्र सेडूराम कौम गुर्जर सा. देह खातेदार राहिन P.N.B. शाखा अजीतगढ़ मुर्तहीन की बजाय बहादूरमल पुत्र हनूमानसहाय जाति गुर्जर सा. देह राहिन P.N.B. शाखा अजीतगढ़ मुर्तहीन स्वीकार किया गया। ग्राम हथौरा में मौके पर उपस्थित लोगों से पूछताछ करने पर बताया कि बहादूरमल उर्फ बहादूरमल पुत्र नाथूराम जाति गुर्जर होना बताया गया, इसके अलावा उक्त नाम का अन्य व्यक्ति नहीं बताया गया। ग्राम पंचायत हथौरा के प्रमाण–पत्र अनुसार बहादुरमल उर्फ बहादूरराम गुर्जर पुत्र नाथूराम गुर्जर एवं बहादुरमल उर्फ बहादूरराम गुर्जर पुत्र हनुमान सहाय गुर्जर ... एक ही व्यक्ति है जो की गांव हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर का रहने वाला है। ये सभी नाम ... व्यक्ति के हैं। इनके वास्तविक पिता का नाम नाथूराम गुर्जर ही है। इस प्रकार ... खसरा नम्बर 1796/1924 रकबा 1.80 हैक्टर तन् ग्राम हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का खातेदार बहादुरमल उर्फ हनुमानसहाय के स्थान पर बहादुरमल उर्फ बहादुरराम पुत्र नाथूराम गुर्जर को उद्घोषित किया जाकर और उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी बहादुरमल उर्फ बहादुरराम पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:42:59 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
12/02/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीमकावाना)

नाथूराम के नाम दुरूस्ती हेतु भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश फरमाया न्यायहित में प्रकट होता है। अतः वादीगण का वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

——::क्रियात्मक आदेश ::——

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वादपत्र बाबत् उदघोषणा, दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1796/1924 रकबा 1.80 हैक्टर तन् ग्राम हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का खातेदार बहादुरमल उर्फ हनुमानसहाय के स्थान पर बहादुरमल उर्फ बहादुरराम पुत्र नाथूराम गुर्जर को घोषित किया जाता है एवं खातेदार बहादुरमल उर्फ हनुमानसहाय के स्थान पर बहादुरमल उर्फ बहादुरराम पुत्र नाथूराम गुर्जर का नाम राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

12/01/24
(दिलीप सिंह)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 12.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/01/24
(दिलीप सिंह)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:42:59 IST
Reason: SelfAttested